न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(बाल मुकुन्द असावा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
नामान्तरण अपील संख्याः 05/2021
दायर दिनांकः 13.01.2021
निर्णय दिनांक 18.11.2024

—: अनवान :—

जसवन्तराज पिता कुन्दनमल जी महाजन उम्र 60 वर्ष निवासी भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द **— अपीलान्ट**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीम
2. ग्राम पंचायत भीम जरिये सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत, भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द

— रेस्पोडेन्टगण

अपील विरूद्ध नामान्तरण आदेश न्यायालय तहसीलदार, भीम जिला राजसमन्द, नामान्तरण संख्या 5206 दिनांक 23.05.2018 से व्यथित होकर अपील अर्न्तगत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः—

1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलान्ट
2— श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 01
3— श्री, अब्दुल हकीम चुडीघर अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या संख्या 02

:: निर्णय ::

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अपील विरूद्ध नामान्तरण आदेश न्यायालय तहसीलदार, भीम जिला राजसमन्द, नामान्तरण संख्या 5206 दिनांक 23.05.2018 से व्यथित होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

न्यायालय जिला कलक्टर

पटवारी हल्का भीम ने ग्राम भीम की आराजी खसरा नम्बर 3428 रकबा 3 बीघा 5 बिश्वा भूमि के संबंध में उप खण्ड अधिकारी भीम द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.12.2017 की पालना में बिलानाम भूमि से आबादी भूमि दर्ज करने के संबंध में पारित किये गये आलोच्य नामान्तरण आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश न्याय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कब्जा आधिपत्य होते हुए भी विपक्षी संख्या 02 से मिलीभगत कर गलत मौका रिपोर्ट करवायी है और उसके आधार पर उक्त भूमि को आबादी में दर्ज करने के लिए उप खण्ड अधिकारी भीम से आदेश पारित करवाया है जो विधि के विपरीत होकर अपास्त होने योग्य है। उक्त भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा आधिपत्य प्रमाणित है। तहसीलदार द्वारा उक्त भूमि के संबंध में पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 410/2017 सरकार बनाम जसवन्तराज दर्ज कर उक्त प्रकरण को दिनांक 27.11.2017 को निर्णित किया है जिससे भी उक्त भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा आधिपत्य होना प्रमाणित है फिर भी उक्त भूमि के संबंध में की गई रिपोर्ट न केवल अवैध व विधि विरूद्ध है बल्कि गलत रिपोर्ट के जरिये भूमि ग्राम पंचायत को आबादी के लिए प्रस्तावित करना भी विधि के विपरीत है। उक्त भूमि से अपीलार्थी को बेदखल नहीं किया गया है न ही बेदखली की कार्यवाही की गई है। विधिनुसार धारा 91 की कार्यवाही के जरिये किसी भी व्यक्ति को जो लम्बे समय से कब्जे आधिपत्य में है, बेदखल नहीं किया जा सकता है और उस संक्षिप्त कार्यवाही से उसे बेदखल करने का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हैं। धारा 91 की कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही हैं इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी पदमावती बनाम राज० राज्य के मामले में यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि उक्त कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही है और इस कार्यवाही से कब्जेधारी को बेदखल करने का अधिकार नहीं है। लेकिन उक्त न्यायिक निर्णय के प्रतिपादित सिद्धान्त को मद्देनजर रखते हुए उक्त कार्यवाही ड्रोप फरमायी जावे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त न्यायिक निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है

Rajasthan Land Revenue Act 1956 & Sec 91 & Applicability & Tehsildar issued notice u/s 91 to respondent for Sawai Chak, & Respondent has put forward bona fide claim about her right to remain inoccupation over the land- The said claim raises questions involving applicability and interpreration of various laws and documents as well as investigation into

न्यायालय जिला कलक्टर

disputed questions of fact involving recording of evidence. These matters could not be satisfactorily adjudicated in summary proceedings under Section 91 of the Act and can be more properly considered in regular proceedings in the appropriate forum.

उक्त भूमि को धारा 102 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत आबादी हेतु प्रदान करने की अधिकारिता उपखण्ड अधिकारी को नहीं है बल्कि विधि द्वारा यह अधिकार जिला कलक्टर को ही प्रदत्त कर रखे हैं। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी किया गया आदेश दिनांक 28.12.2017 प्रारम्भ से ही अवैध शून्य व प्रभावहीन होकर क्षैत्राधिकार से परे हैं और उक्त आदेश के आधार पर स्वीकृत किया गया नामान्तरण भी अवैध व शून्य है। अतः प्रार्थना है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया नामान्तरण आदेश दिनांक 23.05.2018 नामान्तरण संख्या 5206 में वर्णित भूमि आराजी नम्बर 3428/9900 के संबंध में स्वीकृत किया गया नामान्तरण को अपास्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पाडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता उपस्थित एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री अब्दुल हाकिम चुड़ीघर उपस्थित हुए।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

विचाराधीन प्रकण में तहसीलदार भीम से मौका स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार भीम ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि राजस्व ग्राम भीम का आराजी नं0 3428/9900 रकबा 0.5261 हेक्टयर किस्म आबादी नगर पालिका भीम के नाम दर्ज रिकॉर्ड हैं। विचारधीन प्रकरण से संबंधित भूमि मौके पर खाली (पडत) हैं।

विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील मेंमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का भीम ने ग्राम भीम की आराजी खसरा नम्बर 3428 रकबा 3 बीघा 5 बिश्वा भूमि के संबंध में उपखण्ड अधिकारी भीम द्वारा

न्यायालय जिला कलक्टर

पारित आदेश दिनांक 29.12.2017 की पालना में बिलानाम भूमि से आबादी भूमि दर्ज करने के संबंध में पारित किये गये आलोच्य नामान्तरण आदेश के विरूद्ध यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश न्याय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कब्जा आधिपत्य होते हुए भी विपक्षी संख्या 02 से मिलीभगत कर गलत मौका रिपोर्ट करवायी है और उसके आधार पर उक्त भूमि को आबादी में दर्ज करने के लिए उपखण्ड अधिकारी भीम से आदेश पारित करवाया है जो विधि के विपरीत होकर अपास्त होने योग्य है। उक्त भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा आधिपत्य प्रमाणित है। तहसीलदार द्वारा उक्त भूमि के संबंध में पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 410/2017 सरकार बनाम जसवन्तराज दर्ज कर उक्त प्रकरण को दिनांक 27.11.2017 को निर्णित किया है जिससे भी उक्त भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा आधिपत्य होना प्रमाणित है फिर भी उक्त भूमि के संबंध में की गई रिपोर्ट न केवल अवैध व विधि विरूद्ध है बल्कि गलत रिपोर्ट के जरिये भूमि ग्राम पंचायत को आबादी के लिए प्रस्तावित करना भी विधि के विपरीत है। उक्त भूमि को धारा 102 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत आबादी हेतु प्रदान करने की अधिकारिता उप खण्ड अधिकारी को नहीं है बल्कि विधि द्वारा यह अधिकार जिला कलक्टर को ही प्रदत्त कर रखे हैं। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी किया गया आदेश दिनांक 29.12.2017 प्रारम्भ से ही अवैध शून्य व प्रभावहीन होकर क्षैत्राधिकार से परे हैं और उक्त आदेश के आधार पर स्वीकृत किया गया नामान्तरण भी अवैध व शून्य है। अतः प्रार्थना है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया नामान्तरण आदेश दिनांक 23.05.2018 नामान्तरण संख्या 5206 में वर्णित भूमि आराजी नम्बर 3428/9900 के संबंध में स्वीकृत किया गया नामान्तरण को अपास्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, भीम द्वारा उपखण्ड अधिकारी भीम के आदेश दिनांक 29.12.2017 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा दर्ज नामातरण संख्या 5206 दिनांक 23.05.2018 को पारित किया गया, जो कि उपखण्ड अधिकारी भीम के आदेंश की पालना में पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत हैं। अतः अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत भीम ने विधिवत कार्यवाही करा भूमि राज्य सरकार से प्राप्त कर उस पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए पट्टे जारी किया हैं। उक्त पट्टो को पंचायत ने

न्यायालय जिला कलक्टर

अपने स्वामित्व की भूमि का जारी किया हैं। जो विधिसम्मत व नियमानुकुल है। अतः अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस को सुनकर गहन मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। उक्त अपील नामान्तरण संख्या 5206 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी। तहसीलदार भीम द्वारा उक्त नामान्तरण उपखण्ड अधिकारी भीम के आदेश क्रमांक 2017/28 की पालना में आबादी विस्तार हेतु खोला गया। जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 के अनुसार सक्षम न्यायालय के आदेश के पश्चात नामान्तरकरण की प्रक्रिया करना तहसीलदार का विधिक दायित्व है। प्रश्नगत प्रकरण में अधिवक्ता अपीलांट द्वारा आबादी भूमि आंवटन आदेश को विधि अनुसार नही बताते हुए नामान्तरकरण निरस्त करने का तर्क दिया है परन्तु नामान्तरकरण अपील में आबादी भूमि बाबत किये गये आदेश की वैधता पर निर्णय नही किया जा सकता है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा इस बाबत भी कोई तथ्य प्रस्तुत नही किया गया हैं कि आबादी भूमि हेतु जारी आदेश को सक्षम स्तर पर चुनौती दी गई हैं।

उक्तानुसार प्रश्नगत नामान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेश के अनुसार खोला गया है जो कि पूर्णतया विधि अनुसार हैं। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन होने से खारिज की जाती हैं।

18/11/24

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 18.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद